



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102025-266973
CG-DL-E-16102025-266973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4576]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2025/आश्विन 24, 1947

No. 4576]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2025/ASVINA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

का.आ. 4705(अ).— केंद्र सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 70 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों, जिसमें विभिन्न मॉड्यूल, वेब पोर्टल और उनके डेटाबेस शामिल हैं, को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और उनके संबद्ध कार्यालयों के कंप्यूटर संसाधनों के महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना होने के कारण, उन्हें उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संरक्षित प्रणाली घोषित करती है और संरक्षित प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित कर्मियों को अधिकृत करती है, अर्थात्: -

क) संरक्षित प्रणाली का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा लिखित रूप में अधिकृत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कोई भी नामित कर्मचारी;

- ख) आवश्यकता-आधारित प्रयोग के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया संविदा आधार पर प्रबंधित सेवा प्रदाता या तृतीय-पक्ष विक्रेता की टीम का कोई सदस्य; और
- ग) मामला-दर-मामला आधार पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया कोई भी परामर्शदाता, नियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षक और हितधारक।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 8/(04)/पीएफएमएस/2025]

डॉ. सज्जन सिंह यादव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Expenditure)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

S.O. 4705(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Public Financial Management System Application comprising of various Modules, Web Portals and their Databases, being Critical Information Infrastructure of the Public Financial Management System, Controller General of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purpose of the said Act and authorizes the following personnel to access the protected systems, namely: -

- a. any designated employee of the Public Financial Management System authorised in writing by the Public Financial Management System to access the protected system;
 - b. any team member of the contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Public Financial Management System for need-based access; and
 - c. any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Public Financial Management System on case-to-case basis.
2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 8/(04)/PFMS/2025]

Dr. SAJJAN SINGH YADAV, Addl. Secy.